पत्रांक –10 / न 4–16 / 2002 मा0............ / –

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

बिहार, पटना

प्रेषक,

श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

सेवा में,

श्री अशोक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक

विषय:– क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, सर सैयद नगर, किशनगंज को अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 238 दिनांक 03.04.2006 के आलोक में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा की गयी, जिसके अनुसार स्थिति निम्नवत् है :–

1. विद्यालय का संचालन निबंधित न्यास "क्रेसेन्ट एडुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" के द्वारा किया जाता है । तथा विद्यालय ने निबंधित सोसाईटी में एक परिवार का प्रभुत्त्व न होने का प्रमाण पत्र समर्पित किया है। संस्था के विभिन्न सदस्यों के नाम, पता और उनके पेशे के संबंध में भी सूचना दी गई है, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।
2. विद्यालय ने किसी निबंधित सोसाईटी / न्यास के फेन्चाईजी के रूप में स्थापित होने अथवा किसी Brand name का उपयोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नही करने का दावा किया है । परन्तु विद्यालय के नाम "क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल" से christian missionary द्वारा संचालित अल्प संख्यक विद्यालय का बोध होता है। अतः नाम से आम जनता में भ्रम उत्पन्न होता है। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C संख्या 3007 / 05 अशोक कुमार बनाम यूनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य में दिनांक–09.03.2005 को पारित न्यायादेश (न्यायादेश की प्रति संलग्न) को ध्यान में रखना होगा। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय के नाम से आम जनता में भ्रम न उत्पन्न हो। बोर्ड विद्यालय को नाम बदलने हेतु यथा आवश्यक समय दे सकता है।
3. विद्यालय के अनुसार 2.60 एकड़ भूमि उपलब्ध है। जिस पर केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मापदण्डों के अनुसार भवन निर्माणधीन है। तत्काल विद्यालय किराये के भवन में संचालित है। किराये का यह भवन निमार्णाधीन भवन से एक किलोमीटर के अन्दर ही होने की सूचना दी गयी है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली को अपनी agency के द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर विद्यालय के द्वारा दी गई सूचना को सम्पुष्ट कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की भूमि एवं निमार्णाधीन भवन तथा तत्काल किराये का भवन उनके द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है।
4. विद्यालय में 19 शिक्षक है, जिनमें 10 प्रशिक्षित है । विद्यालय के द्वारा दिये गये आवेदन के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति विज्ञापन के माध्यम से की जाती है। शिक्षकों की योग्यता NCTE के मापदण्डों के अनुरूप है या नहीं इस संदर्भ में आवेदन में कोई सूचना नहीं दी गयी है। केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जॉच कर यह सुनिश्चत होना चाहेगा कि विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता NCTE के मापदण्डों के अनुरूप है तथा उनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं विज्ञापन के माध्यम से की गई है।
5. विद्यालय के द्वारा हिन्दी विषय पढ़ाने का दावा किया गया है ।
6. विद्यालय द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि [illegible]

किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा । बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा साम श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/– रूपये प्रतिवर्ष होगें।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्र परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवे निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुलें तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए ब का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी किलोमीटर तक रहेगी ।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80% र वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा ब नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर यह सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालि है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालयों के द्वारा अपनी सहमति के अनु अनिवार्य एवं आपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त्तें सार्वजनिक करनी होगी तथा इन उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेवसाइट में करना होगा ।

10. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय प्रसंगाधीन न्यायदेश के आलोक में स्कूल किसी ऐसें नाम का उपयोग नही करें जिस से भ्रम उत्पन्न होता हो ।

11. शर्त्तो के उल्लंधन की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जा तथा संबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एवं उपर वर्णित शर्त्तो के आधार पर क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, सर सैयद न किशनगंज को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

13. विद्यालय से प्राप्त शपथ पत्र के रूप में आवदेन पत्र दिनांक 04.08.2006 की छायाप्रति संलग्न है ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –यथोक्त

ह0/–
(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

ज्ञापांक – 696 पटना, दिनांकः– 7.11.06

प्रतिलिपि – प्राचार्य, क्रेसेन्ट पब्लिक स्कूल, सर सैयद नगर, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

6/11

(कमलेश्वर प्रसाद सिंह)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा